



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH
VIPIN KHAND GOMTI NAGAR, LUCKNOW
PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA LUCKNOW

PRINT DATE - 22/02/2021

FILE NO. R- 140/AA/M.CELL/2019

SCHEME : BHAISORA

PROPERTY: KHASRA NO-216 -SA
VILLAGE- BHAISORA, LUCKNOW.

WARD :
PERMIT NO. : MAP-20190527192240773
SITE OF : GROUP HOUSING
NAME : E-SQUARE HOMES PVT. LTD.
ADDRESS : 2/9 VISHAL KHAND] GOMTI NAGAR, LUCKNOW.

Sanction vide order dated **14-7-2020** of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 13-07-2025

Restriction if required : पृष्ठ भाग पर अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।


Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P.

प्रतिबन्ध—

1. स्वीकृत समूह आवास भवन मानचित्र भू स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख का अंग नहीं माना जायेगा। भूस्वामित्व सम्बन्धी कोई वाद विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. स्थल पर निर्माण के समय स्वीकृति सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित करते हुए निर्धारित प्रारूप का एक बोर्ड लगाना होगा।
3. भवन निर्माण में शासनादेश के अनुसार लेबर एक्ट तथा नेशनल बिल्डिंग सेफटी काउंसिल के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
4. पार्किंग हेतु आरक्षित क्षेत्र पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
5. स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
6. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
7. शासनादेश के अनुसार स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग का प्राविधान करना होगा।
8. निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
9. समूह आवास मानचित्र स्थल पर शासनादेश वृक्ष एवं लैण्ड स्केपिंग का प्राविधान करना होगा।
10. मानचित्र का उपयोग केवल समूह आवास प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।
11. भविष्य में ल0वि0प्रा0 या अन्य किसी भी विभाग की कोई देनदारी निकलती है तो पक्ष द्वारा देय होगी।
12. अपार्टमेंट एक्ट तथा रेरा एक्ट के शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
13. आवेदक द्वारा समस्त सेवाओं की कनेक्टिविटी सम्बन्धित विभागों से अपने व्यय पर लेनी होगी।
14. भवन परिसर में आशक्त व्यक्तियों के लिए भवन उपविधि में अपेक्षित प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
15. बेसमेंट का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व खनन विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
16. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
17. प्रश्नगत भवन में अवस्थापना सुविधाओं से कनेक्टिविटी कराने का उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
18. स्माग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारो तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्री के पास या तो जल छिडकाव की व्यवस्था की जाये अथवा त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
19. भू-स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गड्ढे न हों तथा उसमें जल-भराव न हो, यदि ऐसा पाया जाता है तो उसका भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
20. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
21. अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति में उल्लेखित सुरक्षा प्रबन्धों का पालन करना होगा।
22. विकलांग दृष्टिबाधित व आशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध करना होगा।

किश्तें— (प्रति किश्त) —रु0 65,53,928.00

प्रथम किश्त (दि0 30.06.2021) — रु0 65,53,928.00

तृतीय किश्त (दि0 30.06.2022) — रु0 65,53,928.00

द्वितीय किश्त (दि0 31.12.2021) — रु0 65,53,928.00

चतुर्थ किश्त (दि0 31.12.2022) — रु0 65,53,928.00